10616

[redacted]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

RUPEES 25000   पच्चीस हजार रुपये   RUPEES 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[redacted]

Advocate
Tah. Sardhana (Meerut)

विक्रय पत्र

➢ विक्रय मूल्य 1,32,09,330/- रूपये

1

[redacted]

3 NOV

[illegible]

Rs. 1,32,09,330/-

[illegible] 5000/- [illegible] 50/- [illegible] 5050/- [illegible] 2000

[illegible] माँगी [illegible] पुत्र [illegible]

[illegible] निवासी [illegible]

[illegible] जिला [illegible]

[illegible] रजिस्ट्रार [illegible] दिनांक 03/11/06

[illegible] 4 [illegible] बजे [illegible]

D.N. 10633/15

[illegible] 5,22,340 [illegible] रुपये

[illegible] 1,32,09,330/-

[illegible] 3/2616

[illegible] रजिस्ट्रीकृत [illegible]

[illegible]

[illegible] 3209330/-

[illegible]

[illegible] 1/6 [illegible]

[illegible]

प्रदीपकुमार

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215346

➢ विक्रित भूमि किसी राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नही है।

➢ विकित भूमि पर अन्य प्रयोजन की दर 25,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर से अधिक दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215347

➤ कुल देय स्टाम्प अंकन 13,21,000/- रूपये, जिसमें से अंकन 5,28,300/- रूपये का स्टाम्प इकरारनामा दिनांक 5.10.2005 के साथ संलग्न कर अदा किया जा चुका है अतः इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न स्टाम्प अंकन 7,92,700/- रूपये।

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215348

. 4 .

➢ इकरारनामा कार्यालय उप निबन्धक सरधना पर प्रतिपुस्तक संख्या 1 खण्ड 788 के पृष्ठ 381-438 में कम संख्या 10439 पर दिनांक 5.10.2005 पर दर्ज रजिस्टर है।

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 5 .

विक्रय पत्र ओर से माधो पुत्र श्री जयराम निवासी ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ

-------प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवं

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215350

. 6 .

M/s. Geo Connect Ltd. 110, Indra Prakash Building. 21- Bara Khamba Road, New Dehli -01 द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक/अधिकृत राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 सी.बी. शर्मा निवासी आर जैड 163ए/1 शाद नगर पालम कालोनी, नई दिल्ली-45

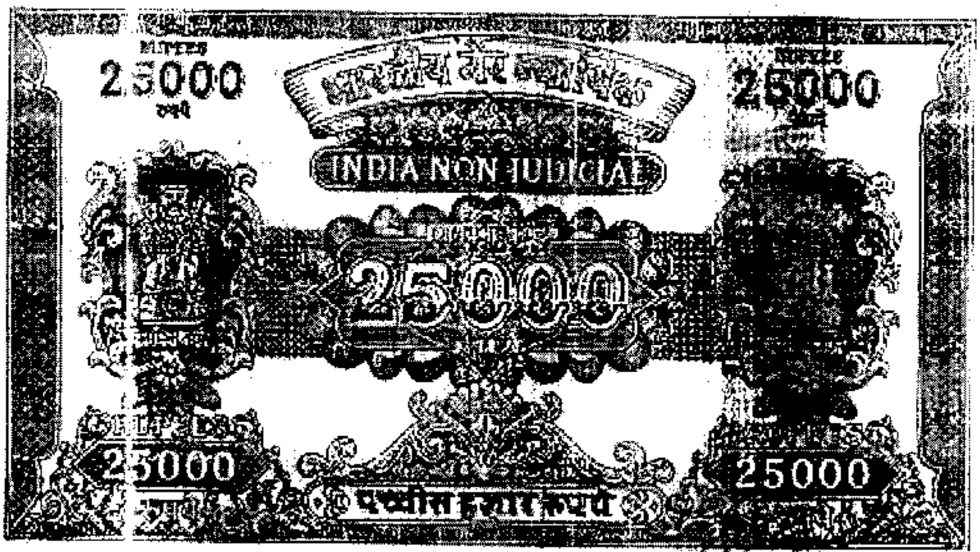

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

.... द्वितीय पक्ष (क्रेता)

जो कि भूमि भूमि खाता संख्या 51 के खसरा नम्बर 1573/2, रकबा 0.1900 है0 शून्य दशमलव एक नौ शून्य

25000

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शून्य हैक्टेयर व 1574/2, रकबा 0.1770 हे0 शून्य दशामलव एक सात सात शून्य हैक्टेयर व 1575/3 रकबा 0.2070 हे0 शून्य दशामलव दो शून्य सात शून्य हैक्टेयर व 1576/2, रकबा 0.4640 हे0 शून्य दशामलव चार छः

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21335

चार शून्य हैक्टेयर व 1578, रकबा 0.2780 हे0 शून्य दशमलव दो सात आठ शून्य हैक्टेयर व 1579, रकबा 0.1390 हे0 शून्य दशमलव एक तीन नो शून्य हैक्टेयर व 1581/1, रकबा 0.1010 हे0 शून्य दशमलव एक शून्य एक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21535[illegible]

शून्य हैक्टेयर व 1580, रकबा 0.1390 हे0 शून्य दशमलव एक तीन नो शून्य हैक्टेयर 1591/2, रकबा 0.1830 हे0 शून्य दशमलव एक आठ तीन शून्य हैक्टेयर व 1592, रकबा 0.4680 हे0 शून्य दशमलव चार छः आठ शून्य

कि-क्रमशः—

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हैक्टेयर व 1593, रकबा 0.4290 हे0 शून्य दशमलव चार दो नौ शून्य हैक्टेयर व 1594, रकबा 0.1140 हे0 शून्य दशमलव एक एक चार शून्य हैक्टेयर व 1595, रकबा 0.1520 हे0 शून्य दशमलव एक पांच दो शून्य हैक्टेयर व

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
25000
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1596, रकबा 0.1520 हे0 शून्य दशमलव एक पांच दो शून्य हैक्टेयर व 1597, रकबा 0.1140 हे0 शून्य दशमलव एक एक चार शून्य हैक्टेयर व 1598, रकबा 0.0760 हे0 शून्य दशमलव शून्य सात छः शून्य हैक्टेयर व 1599,

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 13 .

रकबा 0.0890 हे0 शून्य दशामलव शून्य आठ नो शून्य हैक्टेयर व 1600/1 मि0, रकबा 0.1640 हे0 शून्य [redacted] 0.0760 हे0 शून्य दशामलव शून्य सात छः शून्य हैक्टेयर

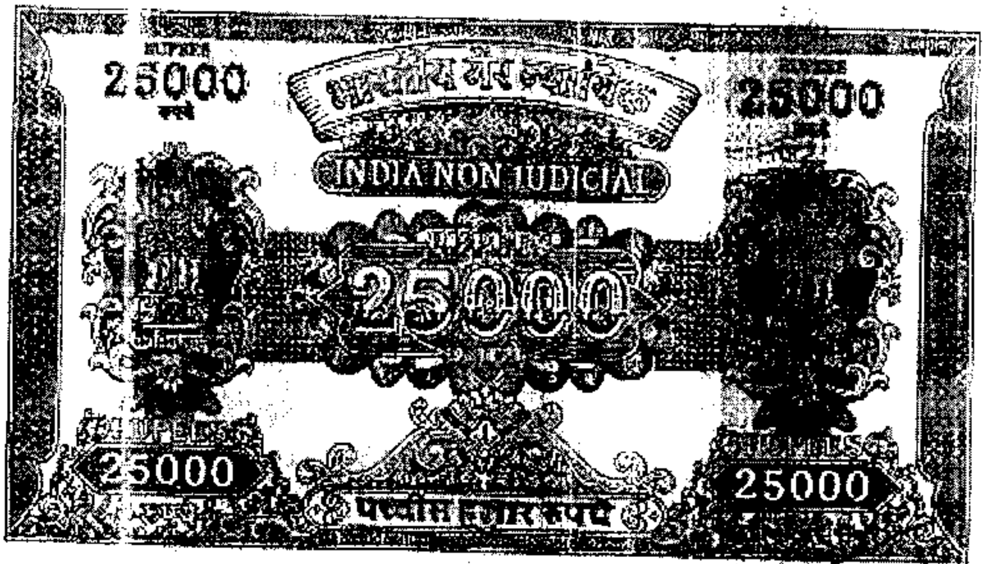

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215358

व 1603, रकबा 0.0890 हे0 शून्य दशमलव शून्य आठ नो शून्य हैक्टेयर व 1604, रकबा 0.3040 हे0 शून्य दशमलव तीन शून्य चार शून्य हैक्टेयर व 1605मि0, रकबा 0.0630 हे0 शून्य दशमलव शून्य छः तीन शून्य हैक्टेयर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 215359

15

व 1606/2, रकबा 0.1010 हे0 शून्य दशामलव एक शून्य एक शून्य हैक्टेयर व 1607, रकबा 0.1900 हे0 शून्य दशामलव एक नो शून्य शून्य हैक्टेयर व 1608, मि0, रकबा 0.1640 हे0 शून्य दशामलव एक छः चार शून्य

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 16 .

हैक्टेयर कुल 25 पच्चीस नम्बर कुल रकबा 4.6230 हे0 चार दशमलव छः दो तीन शून्य हैक्टेयर, में अपना समस्त 33/96 तैतीस बटा छियानवे भाग यानि भूमि 1.5891,1/2 हे0 एक दशमलव पांच आठ नौ एक सही एक बटा दो

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हैक्टेयर लगान 78.55 रूपये सालाना स्थित ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

355362

उत्तरण है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नही है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त

INDIA NON JUDICIAL

25000

[redacted]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नही किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैलों व काबिज नही है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 20 .

है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21

[redacted]

आदेश पारित नही हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखो मे कृषि के रूप मे अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 1,32,09,330/- एक करोड़ बत्तीस लाख नौ हजार तीन सौ तीस रूपये तय है जो अति

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215360

. 22 .

उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते है, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः

25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23

उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख मे किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 1,32,09,330/- एक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 24 .

करोड़ बत्तीस लाख नो हजार तीन सौ तीस रूपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते **M/s. Geo Connect Ltd. 110, Indra Prakash Building. 21- Bara Khamba Road, New Dehli -01** द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक/अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 सी.बी. शर्मा निवासी आर जैड 163ए/1

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215369

25

शाद नगर पालम कालोनी, नई दिल्ली-45 को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य निम्नानुसार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-9 NOV 2006 215330

. 26 .

देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग मे ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम

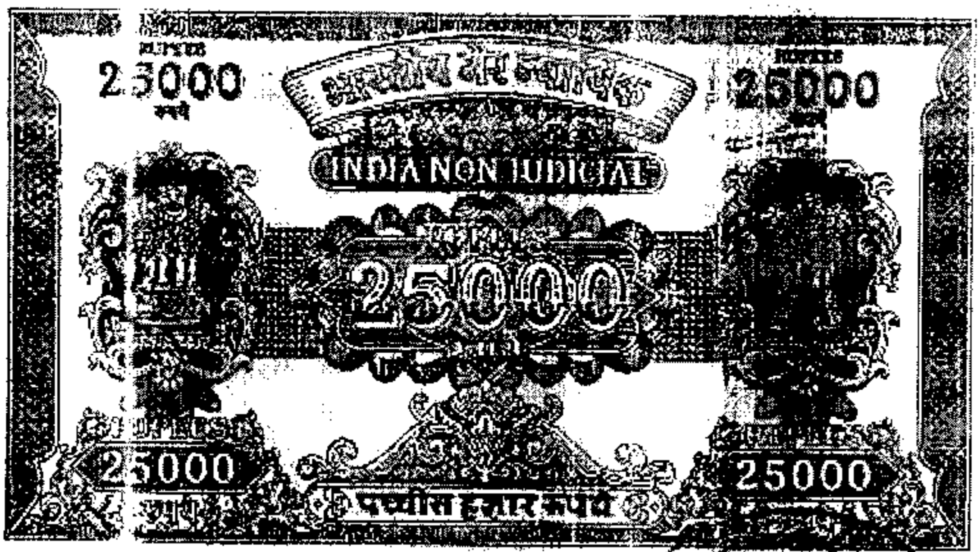

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28

राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार,

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215374

स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31

भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

5000Rs

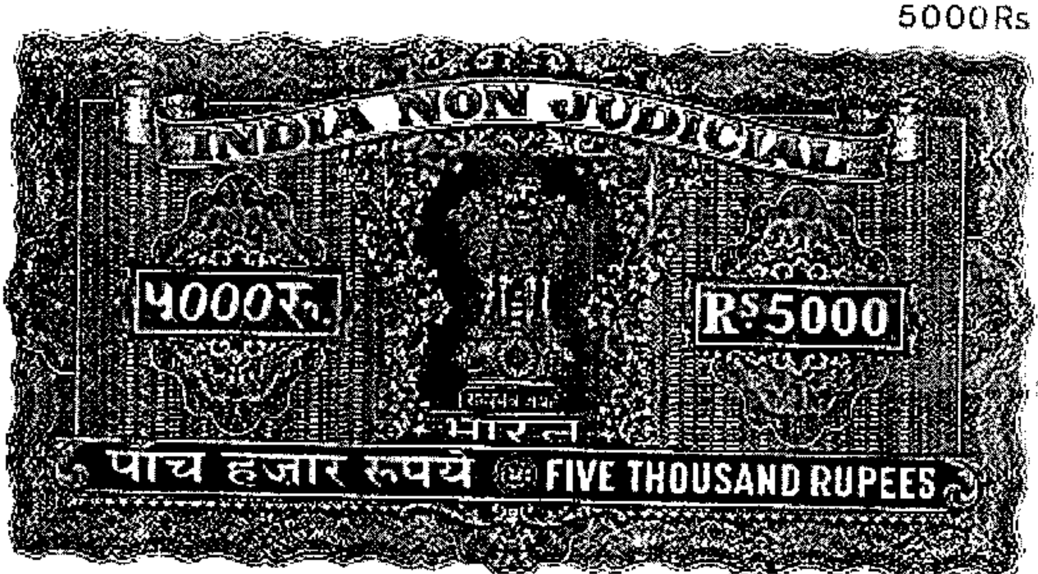

32

भूमि किस्म सेवड़ा अव्वल आबी है।

विक्रेता अनुसूचित जाति से नही है।

विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है।

5000Rs

विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोरिंग आदि नही है।

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य:

[redacted]

5000Rs

OCT 2006

अंकन 13,20,936/- रूपये इकरारनामा दिनांक 5.10.2005 के अनुसार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये हुए है,

अंकन 11,88,449/- रूपये चैक नम्बर 099228 दिनांकित 5.9.2006

1000Rs.

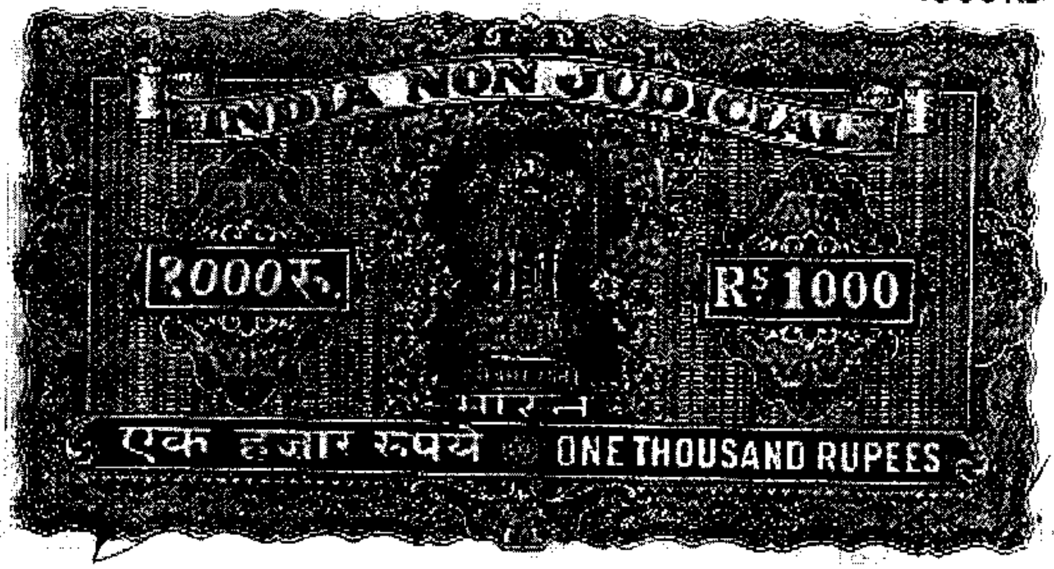

अंकन 50,00,000/- रूपये चैक नम्बर 099229 दिनांकित

23.10.2006

अंकन 50,00,000/- रूपये चैक नम्बर 099230 दिनांकित

7.11.2006

पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई दिल्ली द्वारा

1000Rs.

33590

अंकन 7,00,000/- रूपये नकद पेशागी घर पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये।

500 Rs

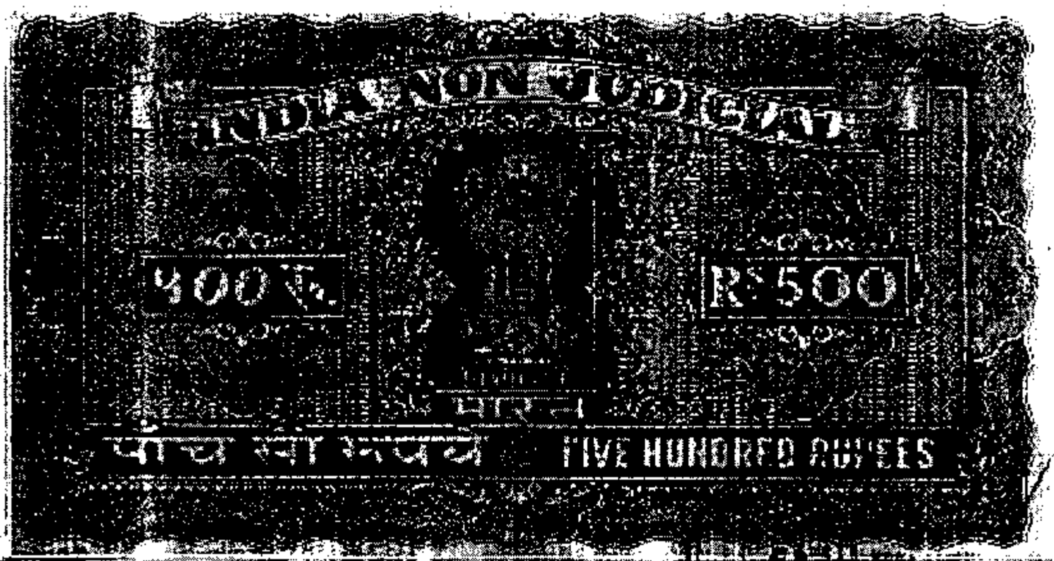

. 37 .

दिनांक: 3.11. तीन नवम्बर सन 2006 ई0

मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
SARDHANA (MEERUT)

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 286687

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

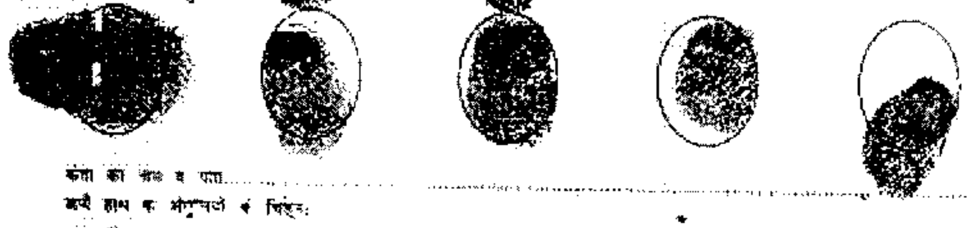

क्रेता का नाम व पता......

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 286688

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री [illegible] शर्मा [illegible]

दाये हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

बाये हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

क्रेता का नाम व पता

दाये हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

बाये हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

03/11/06

1174

0616